भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1484

उत्तर देने की तारीख : 13.02.2025

तमिलनाडु में एमएसएमई क्षेत्र

1484. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेषकर वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में, एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार की उक्त निर्वाचन क्षेत्र में चमड़ा और कपड़ा क्षेत्र सहित विभिन्न एमएसएमई को पर्याप्त वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी एवं व्यापार सहायता प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर संसदीय क्षेत्र सहित देश में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों और कठिनाइयों का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ कदम निम्नानुसार हैं:

i. वर्ष 2020 में एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड अपनाया गया है।
ii. दिनांक 01.07.2020 से व्यवसाय की सुगमता हेतु एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीरण की शुरुआत की गई है।
iii. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।
iv. एमएसएमई की स्थिति में उर्ध्वगामी परिवर्तन के मामलों में 3 वर्षों के लिए गैर-कर के लाभ प्रदान किए गए हैं।
v. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के तहत लाभों का फायदा उठाने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 से उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है।
vi. एमएसएमई में इक्विटी समावेशन के लिए आत्म निर्भर भारत कोष का परिचालन शुरू किया गया है।
vii. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई है। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक प्रचालन में थी। आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिसमें 98.3% खाते सूक्ष्म और लघु उद्यमों की श्रेणी में थे, उन्हें गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों के वर्गीकरण में जाने से बचाया गया था।
viii. केंद्रीय बजट 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, एमएसएमई के क्रेडिट के लिए नया आकलन मॉडल, दबाव अवधि के दौरान एमएसएमई को सहायता प्रदान करना और मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करना जैसे विभिन्न उपायों की घोषणा की थी।

चमड़ा और टैक्सटाइल क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट और वित्तीय सहायता के निर्बाध प्रवाह के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक ऋणों पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान कर गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत वित्त पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी के प्रावधान के साथ विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के कोलेट्रल मुक्त ऋण, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा ऋण आदि शामिल हैं।

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपशिष्ट को कम करना, उद्यमों की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उनकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहुंच तथा उत्कृष्टता को बढ़ाने की लिए तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के तहत 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान (प्रौद्योगिकी केंद्र) एमएसएमई को कौशल और सहायता प्रदान कर रहे हैं।

*****